

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या
11/11/2025

रजि0 नम्बर
2025/116

प्रवेश तिथि
26.03.2025

निर्णय दिनांक
23.04.2025

1. शीला मीना पत्नी सुरेश चंद जाति मीना निवासी कॉलोनी ग्राम सैमला, हसनपुर क्षेत्र तहसील व जिला अलवर राज0।
—अपीलाण्ट

बनाम

1. लोकेश कुमार मीना पुत्र जगदीश नारायण जाति मीना निवासी कॉलोनी, रूपु का बास गुडा चुरानी तहसील व जिला अलवर राज0।
—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 293 निर्णय दिनांक 05.02.2025 तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज0।

उपस्थित:—

- 01—श्री मूलचन्द चौधरी
02—श्री राजबहादुर जांगिड़

—वकील अपी0
—वकील रेस्पो0

—निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 05.02.2025 नामान्तकरण संख्या 293 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इंतकाल 05.02.25 का है और जैसे ही 03.03.25 को अपीलान्ट को गलत इंतकाल तस्दीक होने का पता चला अपीलान्ट ने दुरुस्त कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलान्ट ने 20.03.25 को जनसुनवाई में इंतकाल दुरुस्त कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया। कलक्टर साहब ने तहसीलदार रामगढ़ को लिखा। उसके बाद उपखण्ड अधिकारी ने कहा की अपील द्वारा ही दुरुस्त हो सकता है इसलिए अपील करने में जो देरी हुई है वह देरी को दिनांक 05.02.25 से 25.03.25 तक समय माफ़ किया जाने योग्य है। अपीलान्ट का ख. न. 297/42 कुल रकबा 4.31 हेक्टेयर का 1/2 हिस्से खातेदार का काश्तकार है जिसमें से अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.02.25 को रेस्पोण्डेंट को 0.50 हेक्टेयर का बेचान किया गया था और कब्जा भी 0.50 हेक्टेयर पर दिया था लेकिन इंतकाल चढ़ते समय खा. सं. 293 का बयनामा का अवलोकन नहीं किया गया, बल्कि 0.50 हेक्टेयर की जगह 1.0 हेक्टेयर का इंतकाल दर्ज हो गया जो विरुद्ध मौका व कानून तस्दीक किया जो काबिल गौर श्रीमान है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जा कर तहसीलदार (भू/निरक्षक) रामगढ़ द्वारा सिस्टम से किया इंतकाल स. 293 निरस्त कर 0.50 हेक्टेयर तक दुरुस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)


पत्रावली में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त नामान्तकरण गलत तौर पर स्वीकृत किया गया है जिस कारण अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है तथा मुताबिक राजीनामा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने में रेस्पोंड को कोई एतराज किसी प्रकार का नहीं है। अतः निवेदन किया कि उक्त राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2025 के विरुद्ध दिनांक 26.03.2025 को पेश की गयी है जो करीब 01 माह 21 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकूलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 293 दिनांक 05.02.2025 एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.02.2025 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के रेस्पोंडेन्ट को आराजी खसरा नंबर 297/42 कुल रकबा 4.31 है० में से 0.50 हेक्टेयर भूमि का बेचान किया गया था और कब्जा भी 0.50 है० भूमि पर दिया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक व स्वीकार करते समय बयनामा का सही अवलोकन नहीं किया गया जिससे 0.50 है० की जगह 1.0 है० का इंतकाल रेस्पोंड के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया गया, जो कि एक विधिक त्रुटि है। पत्रावली में संलग्न अपीलान्ट व रेस्पोंड द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र अनुसार अपी० व रेस्पोंड के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा रेस्पोंड द्वारा अपील अपी० स्वीकार किये जाने के संबंध में अनापत्ति जाहिर की है। अतः अपील अपी० स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश इंतकाल सं० 293 दिनांक 05.02.2025 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 297/42 कुल रकबा 4.31 है० में से पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 05.02.2025 के अनुसार 0.50 है० भूमि का रेस्पोंड लोकेश कुमार मीना पुत्र जगदीश नारायण मीना के हम में नियमानुसार इन्द्राज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)